4. श्री नियाज अहमद	4 लाख रुपए
5. श्रीमती एस. पवार	2 80 लाख रुपए
6. श्री आरिफ मोहम्मद	2 80 लाख रुपए
7. श्री इस्लाम खान	3.5 लाख रुपए

(ग) और (घ) कमीशंड कार्यक्रमों का अनुमोदन दूरदर्शन महानिदेशालय में उपयुक्त लागत समिति द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य सरकारी अधिकारी होते हैं।

Amount spent by the Directorate of Information and Publicity

4780. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

fa) what is the amount spent by the Directorate of Information and Publicity, Delhi Administration, on advertisements during 1991-92; and

(b) what is the value of advertise ments given to the newspapers (language-wise) during the said period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) During 1991-92 the Directorate of Information and Publicity, Delhi Administration incurred an expenditure of Rs, 9,14,091/ on advertisements.

fb) The language-wise break up of expenditure is as follows:—

Hindi	Rs. 4,99,189/-
English	Rs. 2,40,384/-
Urdu	Rs. 79,629/-
Punjabi	Rs. 94,889/-
Total	Rs. 9,14,091/-

देश में निर्मित फिल्में

4761. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में भिन्न-भिन्न भाषाओं में कितनी-कितनी फिल्में बनी ;

(ख) सेंसर बोर्ड ने इनमें से किन-किन फिल्मों पर अपनी आपत्ति जाहिर की है ;

(ग) क्या सेंसर बोर्ड द्वारा कुछ फिल्मों को प्रदर्शन लायक नहीं समझा गया ; और

(घ) वर्तमान में फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनका कार्यकाल कब तक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) चूंकि, भारत में फिल्मों का निर्माण मुख्यतः निजी क्षेत्र में होता है, इसलिए सरकार के पास देश में निर्मित फिल्मों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं रहती। तथापि, कलैंडर वर्ष 1990 और 1991 के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्मों (सेल्यूलाइड) का भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) सूचना संकलित की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 7 अक्तूबर, 1991 को पुनर्गठित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम विवरण संलग्न 2 में दिए गए हैं (नीचे देखिये) बोर्ड के सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होता।